



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil Writ Petition No. 5904/2023

Narendra Singh S/o Munshi Singh, aged about 72 Years, R/o
Kothi Rojvilla, Bharatpur (Raj.)

-----Petitioner

Versus

Balvir Singh S/o Girraj Singh, R/o Sinsini Palace, Rojvilla,
Bharatpur

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. J.P. Goyal, Sr. Adv. Mr. J.K. Moolchandani Ms. Yashika Vijayvargia
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Soni

HON'BLE MR. JUSTICE MANEESH SHARMA

Order

06/05/2026

1. Matter has come up on an application(I.A. No.1/2026) filed by the petitioner for deciding the present writ petition in the light of compromise between the parties.
2. Learned counsel for the parties jointly submits that the petitioner and the respondent are present in person before this Court and have settled the dispute by way of compromise dated 30.04.2026, wherein the respondent has agreed to vacate the suit premises within two months. The relevant terms of the compromise are reproduced as under:-

“1.यह कि प्रथम पक्ष द्वारा एक मुकदमा बेदखली बाबत खाली कराने जायदात व बकाया किराये हेतु सन 2006 में श्रीमान किराया अधिकरण महोदय भरतपुर के समक्ष पेश किया गया, जिसमें प्रथम पक्ष को जायदात का मालिक तो माना गया किन्तु बाद बहस दिनांक 16/07/2010 को खारिज कर दिया गया। जिसकी अपिल प्रथम पक्ष द्वारा अपीलेट किराया अधिकरण के समक्ष पेश की गई, वह भी दिनांक 14/02/2023 को खारिज कर दी गई। जिसके बाद प्रथम पक्ष द्वारा उक्त याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में पेश की गई है, जो वर्तमान में लंबित है। उक्त प्रकरण में उक्त दोनों



पक्षकारों का राजीनामा हो गया है व जरिये राजीनामा दोनों पक्ष उक्त याचिका का निस्तारण निम्न शर्तों के साथ करना चाहते हैं।

A. यह कि प्रथम पक्ष का द्वितीय पक्ष के ऊपर जनवरी 2002 से किराया बकाया चल रहा है, जो अब तक रु. 5,50,000/- बकाया हो गया है। जिसमें से द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को रु. 3,00,000/- तो अदा कर दिए हैं व बकाया किराया प्रथम पक्ष द्वारा छोड़ दिया गया है।

B. यह कि द्वितीय पक्ष अपने द्वारा बनाये मकान जो सिनसिनी पैलेस, रोजविला में स्थित है वहां शिफ्ट हो चुका है। उसे अब उक्त किरायेनुदा जायदात कि कोई आवश्यकता नहीं है। व उसकी जरूरत समाप्त हो चुकी है। किन्तु उसका कुछ सामान किरायेवाली/विवादित जायदात में रखा है, जिसे वह दो माह के अन्दर निकाल लेगा।

C. यह कि द्वितीय पक्षकार के नाम जायदात में पानी, बिजली व अन्य कनेक्शन लगे हैं वह द्वितीय पक्षकार स्वयं से यानी के दो माह के अन्दर हटा लेगा सरेंडर कर देगा।

D. यह कि द्वितीय पक्षकार याचिका स्वीकार की दिनांक से दो माह के अन्दर जायदात खाली कर उसका कब्जा प्रथम पक्षकार को किरायेनुदा जायदात का कब्जा अदा करेगा। यदि दो माह के अन्दर उक्त जायदात खाली कर द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार को अदा नहीं करता है तो प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि यह जरिये इजराय कार्यवाही से जायदात को खाली करा पाने का अधिकारी होगा। जिसमें द्वितीय पक्षकार व उसके किसी वारिसान व अन्य को कोई एतराज नहीं होगा। और अगर कोई एतराज करता है तो वह स्वतः निरस्त योग्य होगा।”

3. In view of the consensus arrived at between the parties, the impugned judgments and decrees stand modified and the present writ petition is decided in terms of compromise dated 30.04.2026, however, it is made clear that in case within two months, the property is not vacated as agreed by the parties in the compromise dated 30.04.2026, the petitioner will be at liberty to file execution and take possession of the suit property as mentioned in the compromise.

4. In view of the above, the present writ petition stands disposed of.

5. Any other pending application(s), if any, also stand disposed of.

(MANEESH SHARMA),J